संपादकीय

पिछले कई व-ोंं से भर्ती और पदोन्नत किए गए वैज्ञानिकों की गुणवत्ता में गंभीर आलोचना की गई है। भाई-भतीजावाद, आंतरिक प्रजनन और गलत तरीके से प्रथाओं को बढ़ाने के लिए कई कृ-ि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) प्रणाली को दो-ी ठहराते हैं। कई अन्य कारणों से भी इस प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता थी, इसलिऐ एएसआरबी के कामकाज की समीक्षा करने और सुधार और पुनर्गठन का सुझाव देने के लिऐ एक सरकारी समिति को गठित किया गया है।

मैंने प्रस्तुत सुझाव निम्न पंक्तियों पर दिए थेः

1. यूपीएससी जैसे एएसआरबी चयन को आईसीएआर से डी-लिंकिंग करके स्वतंत्र और पारदर्शी होना चाहिए।
2. तिथि/समय पर पदोन्नति में ृामिल होने के वरि-ठता के आधार पर प्रचार से बचना चाहिए और प्रदर्शन के आधार पर प्रचार मापदंड बनना चाहिए।
3. एएसआरबी अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्यों को आईसीएआर संस्थानों से अलग किया जाना चाहिए।
4. इसी मुद्दे पर डॉद्म परोड़ा समिति 2011 की सिफारिशों का अध्ययन करें।
5. साक्षात्कार एक बातचीत तक सीमित नहीं हो सकते।
6. 200 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जाना चाहिए, जिसे आवेदक/उम्मीदवारों को साक्षात्कार और पहुंचने के लिऐ नियमित आवर्तन में कहा जाता है।
7. अंतिम चयन के लिए तीन चरण की साक्षात्कार प्रक्रिया।
8. जब तक सभी पैनेलिस्ट व्यस्त हैं, तब तक किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार दोहराया नहीं जा सकता।
9. एएसआरबी को वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए खुद को सीमित करना चाहिए और अन्य पदों के लिऐ भर्ती अन्य विभाग या संगठन को सौंप दिया जाना चाहिए।
10. एएसआरबी प्रक्रिया की चयन की फाईलें कृ-ि और किसान कल्याण के माननीय मंत्री के कभी नहीं जानी चाहिऐं।

आईसीएआर एक रा-ट्रीय संगठन होने के कारण उत्कृ-टता और रा-ट्रीय नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए रा-ट्रीय कृ-ि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) या उससे संबंधित सिस्टम के सर्वश्रे-ठ वैज्ञानिकों को आकर्-ात करना चाहिए। यदि आपके पास अन्य सुझाव हैं तो कृप्या हमें तुरंत लिखें और हम उन्हें समिति को भेज देंगे।

कृ-ि से विस्थापन का विवरण

भारतीय कृ-ि में रोजगार को प्रभावित करने वाले सामान्य कारण

अर्थतंत्र में जैसे-जैसे मजबूती आती है, अतिरिक्त श्रमिकों का न्यून उत्पादकता वाले कृ-ि क्षेत्र से उच्चतर उत्पादकता वाले निर्माण और सेवा क्षेत्र की ओर स्वाभाविक झुकाव होता है क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता और मजदूरी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। गाँव से ृाहर की ओर कृ-ि से अलग होने की गति अर्थतंत्र के विकास के साथ बढ़ती जाती है। इन परिघटना की विस्तृत व्याख्या आवश्यक है क्योंकि इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं।

श्रमिकों के कृ-ि क्षेत्र से विस्थापन के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, कारण है 'आक-र्ण'। अर्थतंत्र के तेज विकास से गैर-कृ-ि क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। इसके फलस्वरूप श्रमिकों में कृ-ि को छोड़कर उच्चतर उत्पादकता और उच्चतर मजदूरी वाले निर्माण एवं सेवा क्षेत्र की ओर जाने का आक-र्ण बढ़ता है।

हालाँकि, भारतीय अर्थतंत्र वृद्धि की गति कमजोर होने के कारण श्रमिकों में कृ-ि से विस्थापन के रूझान में कमी के संकेत मिल रहे हैं। तथापि, गैर-कृ-ि क्षेत्र में, मुख्यतः लघु उद्योगों में श्रमिकों की माँग कमोबेश अनियमित रही है। अनियमित श्रमिक और छोटे पैमाने के रोजगार (उद्योग के आकार के अनुसार) का अनुपात भी यही बताता है कि भारत के गैर-कृ-ि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर अपेक्षाकृत नीचा है। दूसरे ृाब्दों में इस ओर रूझान में कमी है। लेकिन भारत में यदि लगातार उच्च विकास के प्रयास और श्रम कानूनों में सुधार किए जाऐं तो इसमें मजबूती आ सकती है।

इसके अलावा, भारत में ग्रामीण कृ-ि से ृाहरी निर्माण और सेवा के क्षेत्र में विस्थापन की गति भी धीमी है। भारत में ृाहरीकरण का अनुपात चीन के 50 प्रतिशत की तुलना में 30 प्रतिशत के आस-पास है। भारत में गाँव से ृाहर की ओर प्रवासन का स्प-ट रूझान होने के बावजूद इसकी गति धीमी रही है जिससे इसके कमजोर होने का पता चलता है।

दूसरी ओर, कृ-ि से दूसरे क्षेत्रों में श्रम आपूर्ति पर ग्रामीण इलाकों में प्राप्त मजदूरी का भी असर हुआ है। मननेगा (रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) जैसे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से असल में ग्रामीण आमदनी और उत्साह में बढ़ोतरी हुई है जिससे कृ-ि से अलग होने के 'दबाव' में कमी आई है। गाँवों में जैसे-जैसे मजदूरी बढ़ती है, ृाहरी श्रम बाजार में विसंगति पैदा होती है और 'दबाव' के कारक तत्व कमजोर पड़ जाते हैं।

इन कारक तत्वों का असर पुरू-षों और स्त्रियों पर एक समान नहीं है। पुरू-षों की तुलना में ग्रामीण स्त्रियों के काम-काज की विविधता और कृ-ि से उनके अलग होने की गति में कमी देखी गई है।

मनरेगा समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं की बदौलत व-र्ा 2006-07 के बाद से ग्रामीण मजदूरी में 17 प्रतिशत के औसत दर से वृद्धि हो रही है जो ृाहरी मजदूरी के वृद्धि दर से आगे निकल चुकी है (गोल्डमैन सैश, 2014)। इस अध्ययन के नि-क-र्ा के अनुसार ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि के पीछे दरअसल मनरेगा में ृाामिल होने वाले परिवारों की हिस्सेदारी एक बड़ा कारण है। इस अध्ययन से यह अवधारण भी सत्य साबित होती है कि जिन राज्यों में मनरेगा को अधिक पैमाने पर लागू किया गया है वहाँ मुद्रास्फीति बढ़ी है। अध्ययन के अंत में कहा गया है कि न केवल खेतिहर मजदूर ृाहरी क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं बल्कि उत्पादकता में बढ़ोतरी के बगैर मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति में उछाल आ रहा है।

संक्षेप में कहा जाए तो कृ-ि में श्रम की उपलब्धता बच्चों की शिक्षा और अवस्था जैसे कतिपय सामाजिक कारकों के अलावा अनिवार्य रूप से गैर-कृ-ि क्षेत्र में रोजगार के सृजन, ृाहरीकरण की गति, सामाजिक योजनाओं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहन और कृ-ि क्षेत्र में पारिश्रमिक पर निर्भर करती है।

श्रमिक अल्पता के प्रमुख कारणों का पता लगाने हेतु 2011 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 'स्थानीय स्तर के अन्य काम-धंधों में ज्यादा मजदूरी' को 'सबसे पहला' कारण के रूप में चिन्हित किया गया। सर्वेक्षण में कहा गया कि स्थानीय स्तर पर राजगिरी, बढ़ईगिरी, बिजली और प्लम्बिंग जैसे गैर-कृ-ि काम-धंधों में ज्यादा मजदूरी मिलने के कारण खेतिहर मजदूर इनकी ओर आकर्-ित हुए। चूँकि खेतीबारी की कार्यकुशलता का कोई महत्व नहीं होता इसलिए मजदूर वैसे दूसरे काम अपना लेते हैं जिनमें उन्हें ज्यादा मजदूरी मिल सकती है।

खेती का काम मौसमी होता है और खाली मौसम में मजदूरों को बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। इसके चलते वे पूरे साल आमदनी देने वाले नियमित/स्थायी काम की तलाश करने लगते हैं। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण माना गया। खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने को गाँवों में नीची नजर से देखा जाता है और इसे तीसरा सबसे बड़ा कारण माना गया। ृाक्षणिक स्तर में सुधार के कारण बाहर जाने, ज्यादा मजदूरी के लिए नजदीकी ृाहरों की ओर प्रवासन और विदेशों में प्रवासन को क्रमशः चौथा, पाँचवाँ और छठा सबसे बड़ा कारण माना गया। 'द इकोनॉमिस्ट' में छपी एक रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार ृाहरों में अधिक-से-अधिक मजदूर नौकरी को एक 'सुरक्षा कवच' के रूप में मान रहे हैं जिससे उन्हें ज्यादा मजदूरी मिले और बेगारी कम हो सके।

कृ-ि में श्रम अल्पता के कारण (महत्व के क्रमानुसार)

1. स्थानीय स्तर पर ज्यादा मजदूरी वाले अन्य काम-धंधों की उपलब्धता।
2. खेती का काम मौसमी होने के कारण किसी नियमित/स्थायी काम में लगना।
3. खेतीहर मजदूरी के प्रति अपमानजनक नजरिये का होना।
4. ज्यादा मजदूरी के लिए निकटवर्ती ाहरों की ओर प्रवासन।
5. ौक्षणिक स्तर में उन्नति के कारण प्रवासन।
6. विदेशों की ओर प्रवासन।

अगले खंडों में हमने श्रमिक अल्पता के कारणों का विश्ले-ाण करने और उपर्युक्त कारणों में से कुछेक की विश्वसनीयता एवं महत्व का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

श्रमिकों के अभाव की गुत्थी का समाधान

भारतीय कृ-ि में आगे उत्पादकता बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र से परंपरागत रूप से सस्ते और अतिरिक्त श्रमिकों का पलायन हो रहा है। यदि श्रमिक आवश्यकता के विकल्प के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो खेतों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पैदावार की कीमतों पर पड़ेगा।

चूँकि इनपुट लागतों में बढ़ोतरी के कारण खेती से लाभ में कमी आती है और महँगाई का फायदा अक्सर किसानों को नहीं मिल पाता है, इसलिए खेती से होने वाले रिटर्न पर असर हो रहा है। इससे मजदूरों को प्रतिस्पर्धात्मक मजदूरी देने की किसानों की क्षमता पर बुरा असर होता है। दूसरी ओर, वैकल्पिक उद्योगों में अवसर पैदा हो रहे हैं जो तेज गति से बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में सालों भर काम मिलता है और खेतीहर मजदूर इनकी ओर आकर्-ित हो रहे हैं।

इन कारणों के चलते खेती में श्रमिकों की कमी हो रही है जिसके माँग और आपूर्ति की खाई बढ़ गई है। नतीजतन हर साल खेतिहर मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढ़ रही है और बदले में खेती की सकल लागत बढ़ रही है जबकि रिटर्न में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है।

हालाँकि देश के अलग-अलग हिस्सों में श्रमिकों की कमी के अनेक और भी कारण हैं तथापि उपर सूचीबद्ध किए गए कारणों का असर अधिक है जिनका विस्तृत विश्ले-ाण अगले खंडों में किया गया है।

कृ-ि में न्यून पारिश्रमिक के साक्ष्य

कृ-ि में न्यून पारिश्रमिक के अनेक कारण हैं। जोत की जमीन का औसत व-र् 1971 के 2.3 हेक्टेयर से घटकर 2011 में 1.16 हेक्टेयर पर आ गया। उर्वरक और श्रमिक जैसे निवेश

लागत में बढ़ोतरी से खेती की लागत बढ़ है और प्रत्येक खेत से होने वाले रिटर्न में कमी हुई है। सौदेबाजी की सीमित ताकत रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी पैदावार पर मिलने वाली कीमत अक्सर बाजार दर के अनुरूप नहीं होती जिससे भावी आमदनी प्रभावित होती है। सभी फसल करने वाले किसानों के लिए पारिश्रमिक की तुलना से पता चलता है कि एक किसान को प्रति हेक्टेयर धान की खेती से प्रति माह लगभग 2,400 रूपये और प्रति हेक्टेयर गेहूँ से प्रति माह लगभग 2,600 रूपये की कमाई होती है। दूसरी ओर खेतीहर मजदूर प्रति माह लगभग 5,000 रूपये से भी कम कमा पाते हैं। आँध्र-प्रदेश के तीन जिलों में केपीएमजी द्वारा व-र्ा 2012 में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि एक छोटे किसान की प्रति माह कमाई 1,100 से 3,000 रूपये और बड़े किसान की 3,000 से 6,000 रूपये तक होती है जबकि भूमिहीन मजदूर की कमाई प्रति माह 1,300 से 3,000 रूपये के बीच थी।

स्त्रियों के लिए खेतीहर दैनिक मजदूरी पुरू-ों के मुकाबले खेती संबंधी कार्यों के आधार पर 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम है।

दूसरी ओर एक औसत औद्योगिक मजदूर लगभग 7,000 रूपये प्रति माह और निर्माण मजदूर 8,000 रूपये प्रतिमाह की कमाई कर लेता है। इसके अतिरिक्त, गैर कृ-ि क्षेत्र में कृ-ि के मौसमी चरित्र के विपरीत पूरे साल काम उपलब्ध होते हैं।

कृ-ि और गैर-कृ-ि क्षेत्र रोजगार में मजदूरी की तुलना से पता चलता है कि गैर-कृ-ि क्षेत्र में कई सामान्य कार्यों के बदले अधिक मजदूरी मिलती है। निर्माण क्षेत्र में एक राजमिस्त्री की दैनिक मजदूरी खेतों में निराई करने वाले की मजदूरी के दोगुना से अधिक और जुताई करने वाले से करीब-करीब दोगुना है। बढ़ई, ड्राइवरों, लुहारों आदि जैसे गैर-कृ-ि पेशा में लगे लोगों की मजदूरी खेतिहर मजदूरी से कम-से-कम 15-20 प्रतिशत ज्यादा है। कृ-ि संबंधी विभिन्न पेशा की तुलना में औद्योगिक मजदूरी डेढ़ गुणा से ज्यादा है जिससे इसकी वरीयता का कारण स्प-ट होता है।

2006-07 के बाद कृ-ि क्षेत्र में उच्चतर मजदूरी के पीछे जीडीपी की 'ताकत' काम कर रही थी जिसके कारण वास्तविक खेतिहर मजदूरी की वृद्धि में मदद मिली। यह मोटे तौर पर थाइलैंड और चीन जैसे दूसरे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप ही था (युसुफ एवं सैश, 2008)। इसके साथ-साथ 2006 से मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण श्रम बाजार में सरकार पहलों के 'दबाव' वाले कारक भी काम कर रहे थे जिनकी बदौलत ग्रामीण मजदूरों को अपने खेतिहार कामों के लिए उच्चतर मजदूरी माँगने का हौसला मिला था।

आगे हम मनरेगा जैसे 'दबाव' वाले कारकों का विश्ले-ाण करेंगे।

मनरेगा का प्रभाव

महात्मा गाँधी रा-ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) यानी मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा पहल है। क्रमिक रूप से फरवरी 2006 में इसकी ुरूआत की गई थी जब पहले चरण में 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों को ृामिल किया गया था। नरेगा (एनआरईजीए) का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इससे मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम काा एक अधिकार सम्मत ढाँचा तैयार हुआ है जिसके तहत सरकार का यह कानूनी दायित्व बनता है कि वह इच्छुक लोगों को रोजगार मुहैया करे। इस प्रकार इस कानून से रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में सामाजिक सुरक्षा का बड़ा उद्देश्य पूरा होता है।

इसका लक्ष्य प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अपने आवास के 6 किलोमीटर के दायरे में अकुशल मजदूरी करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय व-र् में कम-से-कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी करना है। ऐसा समझा जाता है इसके तहत अधिकांश कार्य खेती संबंधी कार्यों की अपेक्षा कम मेहनत और कम समय में करने वाले होते हैं। परिणामस्वरूप, इस योजना के बारे में अक्सर कहा जाता है कि श्रम अल्पता और खेतीहर मजदूरी की बढ़ोतरी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

फिर भी मनरेगा की मजदूरी की दर अधिकतर राज्यों में प्रचलित खेतिहर मजदूरी दर से कम है, हालांकि बिहार और मध्य-प्रदेश इसके अपवाद हैं जहाँ यह खेतिहर मजदूरी के समुतल्य है। तथापि, मनरेगा की व्याप्ति के आँकडे बताते हैं कि उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में जहाँ कृ-ि से सर्वाधिक मजदूरों का पलायन हुआ है, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया किए गए जिससे मनरेगा और श्रम अल्पता की समस्या का संबंध पता चलता है।

आँध्र-प्रदेश में केपीएमजी द्वारा किए गए एक अध्ययन से खेतिहर मजदूरों की उपलब्धता और बढ़ती खेतिहर मजदूरी पर मनरेगा योजना का प्रभाव पता चला है। यह पाया गया कि कई मामलों में विभिन्न पंचायतों ने मनरेगा का कैलेण्डर और कृ-ि संबंधी जरूरतों में तालमेल का ध्यान रखा ताकि कोई एक दूसरे से बाधित न हो जिससे स्प-ट होता है कि विभिन्न राज्यों में खेतिहर श्रमिक अल्पता में मनरेगा की भूमिका हो सकती है।

जैसा कि पहले कहा गया है, खेतिहर मजदूरों की उपलब्धता तय करने में मनरेगा जैसे 'दबाव' वाले कारकों का भी योगदान रहा है। एक तो खेती में मजदूरी दर बढ़ाने में इसका योगदान रहा है और दूसरे, ग्रामीण इलाकों में श्रमिक उपलब्धता में भी इसकी भूमिका रही है। 2007-08 से 2011-12 के दौरान अवास्तविक खेतिहर मजदूरी में 17.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में वास्तविक खेतिहर मजदूरी में 6.8 प्रतिव-र् के दर से बढ़ोतरी हुई। इससे कृ-ि क्षेत्र की वहन क्षमता प्रभावित हुई है, साथ ही हर समय उपलब्धता भी प्रभावित हुई है।

विगत कुछ व-ोंं में कृ-ि में श्रम बल की कमी पूरे देश में व्यापत रही है जिससे अलग-अलग पैमाने पर लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। व्यस्त मौसम में बुवाई, कटाई आदि कार्यों के लिए श्रमिकों की अनुपलब्धता किसानों के बीच आम शिकायत रही है।